	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 28, शुक्रवार, *शाके 1946*-जुलाई 19, *2024* *Asadha 28, Friday, Saka 1946- July 19, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 12, 2024

संख्या:60/भू.अ./ज.स./2015/1426-1430:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बांरा शहर बाढ बचाव योजना के अन्तर्गत "Resectioning, Restoration, Safety Retaining Wall and Structure Construction of Banganga River from Km 10.400 to Tail Km 40.800 up to Mangrol including pro-rata charges, price escalation, contingency, Land etc. under Baran Flood protection Scheme Phase II" के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, प्रथम बांरा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन वृत बांरा) होगे।

विवरण

For "Resectioning, Restoration, Safety Retaining wall & structure construction of Banganga River from Km 10.400 to Tail Km 40.800 up to Mangrol including pro-rata charges, price escalation, contingency, Land etc. under Baran Flood protection Scheme Phase II" में अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला बारां।

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत / नगर पालिका	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	"Resectioning, Restoration, Safety Retaining wall &	मांगरोल	नगर पालिका			

	structure construction of Banganga River from Km 10.400 to Tail Km 40.800 up to Mangrol including pro-rata charges, price escalation, contingency, Land etc. under Baran Flood protection Scheme Phase II"		मांगरोल	मांगरोल	बारां	बारां
		भटवाड़ा	भटवाड़ा			
		जैतलहेड़ी	भटवाड़ा			
		इन्द्राहेड़ी	किशनपुरा			
		सिंघनिया	भटवाड़ा			
		पाड़लिया	हिंगोनिया			
		बोहत	बोहत			
		चैनपुरिया	सीमली	बारां		
		बमूलियाजागीर	बड़ा			
		खेड़ीजागीर	मियाड़ा			
		बड़ा	बड़ा			
		खेड़ली-भेंड़ोलिया	लिसाड़िया			

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोंजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड़ प्रथम बारां
	प्रस्तावित योंजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	"Resectioning, Restoration, Safety Retaining wall & structure construction of Banganga River from Km 10.400 to Tail Km 40.800 up to Mangrol including pro-rata charges, price escalation, contingency, Land etc. under Baran Flood protection Scheme Phase II" के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि Private land 29.03 Hec. Government land 16.49 Hec.

(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/ भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योंजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हां
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड़ प्रथम बारां में उपलब्ध

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।